न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 17/2019

वाद दायरी दिनांक : 14/03/2019

निर्णय दिनांक : 27/03/2019

1. लालाराम,
2. बालाराम
3. गोपाल
4. चतुर्भुज

पुत्रान रामजीवण, जातियान जाट, निवासीगण मूंगीथलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

5. रामेश्वर
6. नन्दलाल
7. मदन

पुत्रान भंवरलाल जाट

8. शंकर
9. भैरू

पुत्रान रामकरण

जातियान जाट, निवासीगण मूंगीथला, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र इन्द्राज दुरुस्ती
(अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट)

उपस्थिति – श्री मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 27/03/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत इन्द्राज दुरुस्ती विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के आराजी खतौनी संख्या 248 के आराजी खसरा नम्बर 1860/1917 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 417 के आराजी खसरा नम्बर 1862 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3200

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर वाके ग्राम सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में एवं खतौनी संख्या 132 को आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.4700 हैक्टेयर वाके ग्राम मूंगीथला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण मुताबिक एकमात्र काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 3146/2, 3148, 2857, 2857, 2856, 2855 थे, जिसमें साबिक रिकार्डमें किस्म नाडा दोयम दर्ज थी, जो सही रूप से दर्ज थी, नवीन सैटलमेन्ट में जो नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये उसमें सहवन राजस्व कारकुनानों द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश से किस्म तालाबी–2 दर्ज दर्ज कर दी गयी, जो कि गलत हुआ। उक्त इन्द्राज मात्र सहवन से हाल सैटलमेन्ट के कारकुनानों की गलती से हुआ है, इसलिये अब न्यायहित में उक्त हाल खसरा नम्बरान की किस्म तालाबी–2 के स्थान पर नाडा दोयम दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। प्रार्थीगण ने जब पटवारी हल्का से दिनाक 24/05/2018 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से किस्म दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया, जिस पर पटवार हल्का ने किस्म दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया, तब तहसीलदार महोदय को निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोंही कर किस्म दुरूस्त करवाने की सलाह दी, इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत परिवर्तन किये जाने किस्म माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के हाल आराजी खसरा नम्बर 1860/1917, 1862 वाके ग्राम सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में एवं आराजी खसरा नम्बर 211, 212, 213, 214, 228 वाके ग्राम मूंगीथला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर की किस्म तालाबी–2 के स्थान पर किस्म नाडा दोयम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073, मिलान क्षेत्रफल, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2029 एवं पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 248 में विवादित आराजी की किस्म तालाबी–2 दर्ज है जबकि साबिक जमाबन्दी में किस्म नाडा दोयम दर्ज है जिससे यह साबित है कि हाल सैटलमेन्ट जो हुआ उसमे हाल सैटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा किस्म नाडा दोयम से तालाबी–2 दर्ज की गयी है, चूंकि सैटलमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व आराजीयात की मौके की स्थिति का भौतिक रूप से अवलोकन किया जाता है तथा जो आराजी जिस काम में आती है, उसी अनुरूप परिवर्तन किया जाता हैं तथा परिवर्तन से पूर्व सम्बन्धित काश्तकार को इसकी सूचना (नोटिस) दी जाती है, यदि प्रार्थीगण को किस्म के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति या ऐतराज था तो उन्हें वरवक्त नोटिस ही इसकी आपत्ति पेश करनी चाहिये थी, जबकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा नही किया गया तथा अब इसको दुरूस्त करवाना चाह रहे है, जो मेरी राय में उचित नही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने प्रार्थना–पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वादग्रस्त आराजी खतौनी सख्या 248 के आराजी खसरा नम्बर 1860/1917 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 417 के आराजी खसरा नबर 1862 रकबा 0.3200 हैक्टेयर वाके ग्राम सेवा, तहसील मौजमाबाद, खतौनी संख्या 132 के आराजी खसरा नम्बर 211, 212, 213, 214 वाके ग्राम मूंगीथला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/03/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner